

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

**PART III—Section 4** 

### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] No. 84] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 2019/फाल्गुल 11, 1940

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 2019/PHALGUNA 11, 1940

#### भारतीय जीवन बीमा निगम

## अधिसूचना

मुंबई, 1 मार्च, 2019

**फा. सं. एस-11011/17/2017-बीमा** I.—भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) विनियम, 1999 (जिन्हें इसके इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है ) में, विनियम 2 के , उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएँगे, अर्थात्:-
  - '(क) "अभिकर्ता प्रवर्ग" से निम्नलिखित अभिप्रेत है
    - (i) ऐसा कोई व्यक्ति जो निगम से संबंधित निगम की पालिसियों की निरंतरता, नवीकरण अथवा पुनःप्रवर्तन से संबंधित व्यवसाय सहित बीमा कारोबार याचित करने या उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए निगम द्वारा नियुक्त अथवा नियोजित किया गया हो: अथवा
    - (ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 के अधीन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो;
  - (ख) "अभिकर्ता विनियम" से भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017 अभिप्रेत हैं;

1399 GI/2019 (1)

## 3. उक्त विनियमों के , विनियम 4 में,

## (i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"(क) (i) शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए कर्मचारियों के प्रवर्ग से आवेदक के पास कानून के अधीन भारत में स्थापित अथवा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई की अध्येतावृत्ति होनी चाहिए;

- (ii) अभिकर्ता के प्रवर्ग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए आवेदक के पास कानून के अधीन भारत में स्थापित अथवा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई की अध्येतावृत्ति होनी चाहिए;
- (iii) अन्य प्रवर्ग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भर्ती के लिए आवेदक के पास कानून के अधीन भारत में स्थापित अथवा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई की अध्येतावृत्ति होनी चाहिए;
- (iv) कर्मचारियों के प्रवर्ग में से भर्ती किए गए प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, अभिकर्ता प्रवर्ग में से भर्ती किए गए प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की संख्या 25% से अधिक नहीं होगी तथा अन्य प्रवर्ग में से भर्ती किये गए प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की संख्या प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती के लिए कुल रिक्तियों की संख्या का 60% से अधिक नहीं होगी।

परंतु भर्ती करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक प्रवर्ग के लिए भर्ती संचालित करेगा।

परंतु यह और कि किसी भी प्रवर्ग के लिए अभिनिश्चित की गई रिक्तियों को भरने के लिए यदि अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार उस प्रवर्ग के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो भर्ती करने वाला प्राधिकारी उक्त रिक्तियाँ भरने के लिए उस प्रवर्ग के लिए विशेष भर्ती संचालित कर सकेगा।

टिप्पण 1 : (क) 'कर्मचारी प्रवर्ग ' से इन विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (च) में परिभाषित कर्मचारी अभिप्रेत है।

(ख) 'अन्य प्रवर्ग' से खुले बाजार से उम्मीदवार अभिप्रेत है।

टिप्पण 2: उन आवेदकों को वरीयता दी जा सकेगी जो बीमा विपणन का अच्छा ज्ञान रखते हों तथा जो कानून के अधीन भारत में स्थापित, किसी विश्वविद्यालय अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विपणन में व्यवसाय प्रशासन की मास्टर डिग्री अथवा विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखते हों।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए, `मान्यता प्राप्त संस्था' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ।"

# (ii) खंड (ख) की , सारणी-1 की, क्रम संख्या (6), (7) और (8) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों रखी जाएँगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"(6)	"अभिकर्ता प्रवर्ग" से ऐसा व्यक्ति जो अ.जा. अथवा अ.ज.जा. अथवा अ.पि.व.	40
	(ओबीसी) का सदस्य नहीं है।	
(7)	"अभिकर्ता प्रवर्ग" से ऐसा व्यक्ति जो अ.पि.व. (ओबीसी) का सदस्य है	43
	[ क्रीमीलेयर के व्यक्तियों को छोड़कर]	
(8)	"अभिकर्ता प्रवर्ग" से ऐसा व्यक्ति जो अ.जा. अथवा अ.ज.जा. का सदस्य है।	45";

## (iii) खंड (ग) की , सारणी-2 में,-

(1) क्रम संख्या (2) के सामने , स्तंभ (3) और (4) में, "अभिकरण वर्षों" शब्दों के स्थान पर जहाँ जहाँ वे आते हैं, वहाँ "वित्तीय वर्षों" शब्द रखे जाएँगे।

- (2) टिप्पण 1) में,
  - (क) "अभिकरण वर्षों" शब्दों के स्थान पर "वित्तीय वर्षों" शब्द रखे जाएँगे;
  - (ख) खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्त∶स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ∶-

'(ग)"वित्तीय वर्ष" से ऐसा वर्ष अभिप्रेत है जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में परिभाषित' है।

> हेमंत भार्गव, प्रभारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./558/18]

**टिप्पण:** मूल विनियम का. आ. 53 (अ) तारीख 2 फरवरी 1999 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात (i) का. आ. 129(अ), तारीख 16 फरवरी 2000 और (ii) क्रम सं. 143, तारीख 18 अक्तूबर 2005 द्वारा संशोधित किये गए थे।

## LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 1st March, 2019

**F.No.S-11011/17/2017-Ins.I.**—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) and with the previous approval of the Central Government, the Life Insurance Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice Development Officers) Regulations,1999, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice Development Officers) (Amendment) Regulations, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Life Insurance Corporation of India (Recruitment of Apprentice Development Officers) Regulations,1999 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—
  - '(a) "Agents Category" means-
    - (i) an individual appointed or engaged by the Corporation for the purpose of soliciting or procuring insurance business including business relating to the continuance, renewal or revival of policies of insurance pertaining to the Corporation; or
    - (ii) an individual who has been appointed as an agent under the Life Insurance Corporation of India (Agents) Regulations, 2017;
    - (b) "Agents Regulations" means the Life Insurance Corporation of India (Agents) Regulations, 2017;
- 3. In the said regulations, in regulation 4,-
  - (i) for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
  - "(a) (i) an applicant from Employees Category for recruitment as an Apprentice Development Officer in both Urban and Rural area shall possess a Bachelor's Degree of a University in India established under a statute or approved for the purpose or the Fellowship of Insurance Institute of India, Mumbai;
  - (ii) an applicant from Agents Category for recruitment as an Apprentice Development Officer in both Urban and Rural area shall possess a Bachelor's Degree of a University in India established under a statute or approved for the purpose or the Fellowship of Insurance Institute of India, Mumbai;
  - (iii) an applicant from Others Category for recruitment as an Apprentice Development Officer in both Urban and Rural area shall possess a Bachelor's Degree of a University in India established under a statute or approved for the purpose or the Fellowship of Insurance Institute of India, Mumbai.
- (iv) The number of Apprentice Development Officers recruited from among the Employee Category shall not exceed 15%, from Agents Category shall not exceed 25% and from Others Category shall not exceed 60% of the total number of vacancies for recruitment of Apprentice Development Officers:

Provided that the Recruiting Authority shall conduct recruitment for each category:

Provided further that if the required numbers of candidates are not available from any category to fill in the vacancies earmarked for that category, the Recruiting Authority may conduct special recruitment for that category to fill the said vacancies.

**Note 1:** (a) 'Employee Category' means the Employee defined in clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2 of these regulations.

(b) 'Others Category' means the candidates from the open market.

**Note 2:** Preference may be given to those applicants who have good knowledge of insurance marketing and also those who possess Masters Degree in Business Administration in Marketing or Post Graduate Diploma in Marketing from a University in India established under a statute or by an institute approved by the All India Council for Technical Education or a recognised institution.

*Explanation.*– For the purpose of this clause, 'recognised institution' means such institution as may be recognised by any State Government or the Central Government.";

(ii) in clause (b), in TABLE-I, for S.Nos. (6), (7) and (8) and the entries relating thereto, the following S.Nos.

and entries shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)
"(6)	An individual from "Agents Category" who is not a member of a SC or ST or OBCs.	40
(7)	An individual from "Agents Category" who is a member of an OBCs (other than those in the creamy layer).	43
(8)	An individual from "Agents Category" who is a member of a SC or ST	45";

- (iii) in clause (c), in TABLE-II, -
- (1) against Sr.No. (2), in columns (3) and (4), for the words "agency years" wherever they occur, the words "financial years" shall be substituted;
- (2) in Note 1),
- (A) for the words "agency years", the words "financial years" shall be substituted;
- (B) after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:—
  '(c) "Financial Year" shall mean the year as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

HEMANT BHARGAVA, Chairman In-charge & Managing Director

[ADVT.-III/4/Exty./558/18]

**Note:** The principal regulations were published *vide* S.O.53 (E), dated the 2<sup>nd</sup> February, 1999 and subsequently amended *vide* (i) S.O.129(E), dated the 16<sup>th</sup> February, 2000 and (ii) Sl. No.143, dated the 18<sup>th</sup> October, 2005.